फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

बिरदीचन्द बनाम ओमप्रकाश

संख्या : 72/23 उपवा.

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
1/4/2025	पत्रावली प्रस्तुत। अधिवक्ता अप्रार्थी पक्ष की बहस प्रार्थना-पत्र 10 सीपीसी पर सुनी गई। प्रार्थी का अभिवचन रहा कि अन्य वाद 42/2024 बउन्वानी ओमप्रकाश बनाम बिरदीचन्द घोषणा, दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित इस न्यायालय में लम्बित है। चूंकि उक्त वाद में इन्हीं खसरा नम्बर पर उद् घोषणा चाही गई है अतः इस पत्रावली बाबत बंटवारे की कार्यवाही स्थगित की जावे। अप्रार्थी अधिवक्ता ने अभिवचन किया कि बंटवारे का वाद उद् घोषणा के वाद से पूर्व पेश हो चुका था केवल जवाब दावा पेश नहीं करने के उद्देश्य से प्रा0पत्र पेश किया गया है अतः प्रा0पत्र खारिज किया जावे। दोनो पत्रावलियों का अवलोकन किया गया चूंकि उद् घोषणा का के वाद साक्ष्य स्तर पर लम्बित है तथा जबतक उद् घोषणा का निस्तारण नहीं हो जाता तबतक वाद की कार्यवाही स्थगित करना उचित प्रतीत होता है क्योंकि यदि बंटवारा हो जाता है तो उद् घोषणा के वाद में वाद बाहुल्यता बढ़ेगी अतः बंटवारे के वाद संख्या 72/2023 बउन्वानी बिरदीचन्द बनाम ओमप्रकाश की कार्यवाही वाद सं0 42/2024 बउन्वानी ओमप्रकाश बनाम बिरदीचन्द के निर्णय तक स्थगित की जाती है। उक्त निर्णय के बाद अप्रार्थी पक्ष इस पत्रावली की कार्यवाही पुनः बहाल करवाने हेतु स्वतंत्र रहेंगे। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर	

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.05.07 16:37:18 IST
Reason: SelfAttested